न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—309/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00309)

1. विष्णुप्रसाद वैष्णव पुत्र स्व0 श्री खेमदास जाति वैष्णव (साधु) निवासी रूपनगढ तहसील किशनगढ हाल निवासी शिवाजी नगर मैन चौराहा मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. दयालदास उर्फ रामदयाल वैष्णव पुत्र स्व0 श्री खेमदास वैष्णव जाति वैष्णव (साधु) निवासी शिवाजी नगर माली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर।
2. राधाकिशन वैष्णव पुत्र स्व0 खेमदास वैष्णव जाति वैष्णव (साधु) निवासी राधागोकुल जी के मंदिर के पास, किले के पास, रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
3. आत्माराम वैष्णव पुत्र स्व0 श्री खेमदास वैष्णव जाति वैष्णव (साधु) निवासी मकान नम्बर 32 यू0आई0टी0 क्वाटर शास्त्री नगर, अजमेर।
4. शिवप्रकाश पुत्र छोटूलाल वैष्णव जाति वैष्णव (साधु) निवासी एन0 6, सिडकों, ओरंगाबाद (महाराष्ट्र) **तलबी बंद**
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ।
6. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक उपतहसील रूपनगढ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 139/2010

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5, 6.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 तलबी बंद।

निर्णय

दिनांकः—04.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी...

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1132 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1131 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की बंटवारा की डिक्री पारित फरमावें कि वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 4 के प्रत्येक का 1/5 हिस्से का भूमि में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का मौके पर विभाजन किया जाकर अलग खाता, खसरा लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम किए जाने का विभाजन की डिक्री पारित फरमावे। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड प्रमाण नहीं होने से वाद कारण के अभाव में वाद खारिज करने की इस्तदुआ चाही। अपीलांट/वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर वर्णित किया है जिसमें साक्ष्य वगैराह पेश करेंगे। यह प्रकरण एवीडेंस/शहादत का है। उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम होने के पश्चात उनके द्वारा ऐवीडेंस के आधार पर यह तथ्य पुष्ट किया जाएगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या–1 चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। तहत् न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.11 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वाद का वाद कारण के अभाव में खारिज करने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यकों का सही विवेचन नहीं किया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं था क्योंकि वादी ने अपने हिस्से तक ही अधिकारों की घोषणा चाही थी क्योंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी थी जिसमें वादी का हक व हिस्सा कानूनन विधिनुसार बनता है इस कारण से ही अधीनस्थ न्यायालय को समक्ष वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी को पैतृक होने अथवा नहीं होने के बाबत कोई निर्णय पारित नहीं कर मात्र तकनीकि बिंदु के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी के संबंध में कोई जानकारी नहीं चाही कि क्या उपरोक्त आराजी पैतृक आराजी है अथवा नहीं और यदि पैतृक आराजी है तो उसमें वादी का हक, हिस्सा बनता है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को सही मानते हुए उसी आधार पर निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिए जबकि यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसे बिना साक्ष्य के साबित नहीं कराया जा सकता है किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद निरस्त कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 25.1.11 को कर दिया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त विधिक स्थिति तहत न्यायालय के समक्ष लाए जाने के बावजूद तहत न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया के निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग को अपने निर्णय में कतई डिस्कस नहीं किया और न ही रूलिंग प्रकरण में चस्पा होती है अथवा नहीं होती है के बाबत कोई निर्णय में जिक्र किया। रूलिंग्स को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। सम्वत 2010 को अकेले दयालदास के नाम वादग्रस्त आराजी का अंकन किस प्रकार आया जबकि प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन द्वारा अपने जवाब दावे में यह स्पष्ट अंकन किया है कि सम्वत 2012 से पूर्व से वह आराजी पर काबिज है। उक्त तथ्यों को इग्नोर कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी एवं शेष वादी के सगे भाईयों का बराबर हिस्सा दर्ज है। वादी प्रतिवादी के साथ व अन्य सभी सहखातेदार के साथ अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जोकि वादी के मनबट के आधार पर काबिज है। पूर्व में उक्त भूमि खेमदास की काश्त की आराजी थी जिसके आधार पर प्रतिवादी ने स्वयं के नाम गलत रूप से खातेदारी अंकित करा ली जब प्रतिवादी ने आराजी को बय की धमकी दी तो वादकारण उत्पन्न हुआ जबकि विगत 70 वर्षो से वादी एवं उससे पूर्व वादी एवं प्रतिवादी के पिता आराजी पर काबिज है। वादी की ओर से वाद पत्र में वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण अंकित किया गया है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज कर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रावधानों में प्रतिवादी सख्या 1 का प्रार्थना पत्र किन प्रावधानों के अंतर्गत आता है स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र न्यायालय का समय नष्ट करने के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कोस्ट पर खारिज किए जाने योग्य था, जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलांट न्यायालय के समक्ष निम्न रूलिंग पेश कर रहा है जिसके आधार पर वाद कारण के अभाव में वाद निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं बिना साक्ष्य लिए वाद का निरस्तारण किया जाना संभव नहीं है। 2007 आर0बी0जे वोल्यूम–14 पेज 256, 2006–2007 आर0आर0टी पेज 345। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2011 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वह उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं।

6. हमने अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/वादी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1132 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1131 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें एवं वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की बंटवारा की डिक्री पारित फरमावें कि वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 4 के प्रत्येक का 1/5 हिस्से का भूमि में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का मौके पर विभाजन किया जाकर अलग खाता, खसरा लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम किए जाने का विभाजन की डिक्री पारित फ रमावें।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड प्रमाण नहीं होने से वाद कारण के अभाव में वाद खारिज करने का निवेदन किया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने अपना वाद पुश्तैनी आराजी के आधार पर दायर किया है जिसे वादी अपनी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करायेगा। आदेश 07 नियम 11 सी. पी.सी. के तहत् प्रार्थना पत्र पर वाद का गुणावगुण नहीं देख जा सकता है बल्कि तनकी कायम होकर साक्ष्य के आधार पर ही वाद का निस्तारण किया जाना चाहिएं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.4.2011 में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया। हमारे द्वारा जब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय को समक्ष वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी को पैतृक होने अथवा नहीं होने के बाबत कोई निर्णय पारित नहीं कर मात्र तकनीकि बिंदु के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी के संबंध में कोई जानकारी नहीं चाही कि क्या उपरोक्त आराजी पैतृक आराजी है अथवा नहीं और पैतृक आराजी है तो उसमें वादी का हक, हिस्सा बनता है अथवा नहीं। सभी बिदुओं का निस्तारण वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एंव जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत तथा तनकियात निर्मित की जाकर राजस्व वाद संबंधी मौखिक एवं दस्तावेजीं साक्ष्य के उपरांत ही किया जाना न्यायोचित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों बाबत विचार करके वादी/अपीलांट के उक्त राजस्व वाद को प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुंत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। वादोत्तर, प्रतिवाद–पत्र अथवा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों व अभिवचनों के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अथवा वादोत्तर में वर्णित अतिरिक्त कथनो/तथ्यों के आधार पर अलग से विवाद्यक विरचित किया जा सकता है जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के विवेचन के आधार पर किया जायेगा। ऐसे विवाद्यक का निर्णय अन्य विवाद्यकों के साथ किया जा सकता है अथवा अलग से अन्य विवाद्यक से पूर्व भी किया जा सकता किन्तु इसके लिए साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवसर एवं विवेचना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य होकर उक्त प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किए जाना उचित समझते है कि वे उक्त राजस्व वाद बाबत प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर उक्त वाद एवं जवाबदावे तथा प्रार्थी/प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित विधिक बिंदुओ के आधार पर तनीकयात कायम कर तथा उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर नए सिरे से निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2011 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे राजस्व वाद बाबत प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर उक्त वाद एवं जवाबदावे तथा प्रार्थी/प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित विधिक बिंदुओ के आधार पर तनीकयात कायम कर तथा उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर नए सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर